

कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण)
जिला उज्जैन म०प्र०

क्रमांक/सामा.न्याय/नि०नि०/2022-23/1049
प्रति,

उज्जैन, दिनांक 13/10/2022

- 1 आयुक्त
नगर निगम उज्जैन
- 2 मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जनपद पंचायत
उज्जैन/घटिया/महिदपुर/बडनगर/तराना/खाचरौद
- 3 मुख्य नगर पालिका /नगर परिषद अधिकारी
महिदपुर/बडनगर/नागदा/खाचरौद /तराना/माकडोन/उन्हेल
- 4 रामग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी
जनपद पंचायत
उज्जैन/घटिया/महिदपुर/बडनगर/तराना/खाचरौद

विषय:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के परिपालन में दिव्यांगजन कल्याणार्थ निकाय के बजट में वित्तीय प्रावधान करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार द्वारा दिव्यांगजनो के कल्याण, पुनर्वास एवं सशक्तिकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र समझौता (Y.N.C.R.P.D) के परिपालन में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को भारत सरकार द्वारा संसद में पारित कर 15 जून 2017 को लागू किया गया है, जिसे म० प्र० शासन द्वारा भी 25 जनवरी 2018 को अधिसूचित कर दिया गया है। अधिनियम में दिव्यांगजनो को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं सभी क्षेत्रों में सम्पूर्ण भागीदारी के लिए अधिकार प्रदान किये गए हैं, जिसका पालन भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत समस्त विभागों के द्वारा किया जाना है।

2. दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुच्छेद 24, 25, 26 एवं 27 के प्रावधानों के अनुसार स्थानीय निकायों को दिव्यांगजन के स्वास्थ्य, बीमा, पुनर्वास, बाधारहित, वातावरण, शिक्षा, रोजगार एवं जनजागरण हेतु वित्तीय प्रावधान कर उपरोक्त सुविधाएँ आवश्यक रूप से प्रदान किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। (अधिनियम की छायाप्रति संलग्न है)

3 उपरोक्त अनुच्छेद के परिपालन में स्थानीय निकाय क्षेत्रान्तर्गत निवासरत समस्त दिव्यांगजनो के पुनर्वास हेतु वार्षिक बजट में कृत्रिम अंग सहायक उपकरण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल उन्नयन प्रशिक्षण पुनर्वास रोजगार एवं सहायक उपकरणों की मरम्मत आदि हेतु कम से कम बड़ी निकायों में 25 लाख एवं छोटी निकाय यथा जनपद पंचायतों में 10 एवं नगर पंचायतों में 05 लाख का वार्षिक बजट का प्रावधान करने का कष्ट करे।


संलग्न:- दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की प्रति।


कलेक्टर
जिला उज्जैन

पृ.क्रमांक/सामा.न्याय/नि०नि०/2022-23/1050
प्रतिलिपि:-

उज्जैन, दिनांक 13/10/2022

- 1 आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग म० प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 2 आयुक्त स्थानीय निकाय एवं नगरीय प्रशासन विभाग म० प्र० भोपाल की ओर सूचनार्थ।
- 3 आयुक्त उज्जैन संगम उज्जैन की ओर सूचनार्थ।
- 4 उपसंचालक जनसम्पर्क जिला उज्जैन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।


कलेक्टर
जिला उज्जैन